14-5-78

वनुलाप उप० प्रार्थना पत्र मे वकील प्रार्थिना का मुख्य कथन यह है कि भूमि ख० न० 1281, 1279, 1276 1272 1271 1270 व 1266 में से रास्ता आवागमन हेतु चाहा गया है। प्रार्थी ने बताया कि भूमि ख० न० 1276 के उत्तरी मध्य से प्रचलित रास्ते मे छडी व लकडी डालकर अतिक्रमण करके रास्ते को बन्द कर दिया। अत: अतिक्रमण हटाया जावे एवं उक्त ख० न० मे से

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	रास्ता दिलाया जावे।	

पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव एंव प्रार्थना पत्र के सम्बध मे तहसीलदार नीमकाथाना से ली गई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थना पत्र से जिन ढाणियो मे आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है उन ढाणियो मे आवागमन हेतु रास्ता पूर्व से ही ख०न०1277 गै. मु. रास्ता जो पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ बताया गया है एवं वर्तमान मे भी चालू बताया है। एवं इसके बाद पूर्व दिशा मे भी रास्ता मेटेड बताया है। प्रार्थीगण द्वारा जिस रास्ते को अतिक्रमण करके बन्द करना जो प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है जो अतिक्रमण भी हटा दिया गया है एवं रास्ता चालू है। जो रिपोर्ट से स्पष्ट है। रिपोर्ट में स्पष्ट यह अंकित किया है कि प्रार्थी के पास आवागमन हेतु रास्ता पहले से उपलब्ध होने के कारण नया रास्ता दिया जाना औचित्यहीन प्रतीत होता है। रिपोर्ट से यह साबित होता है कि प्रार्थीगण एवं उस तरफ ढाणियो मे आवागमन हेतु रास्ता पूर्व से मौजूद है इसलिए नया रास्ता कायम किया जाना अति-आवश्यक प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण कि आपत्ति भी पूर्व मे न्यायालय द्वारा खारिज कि जा चुकी है। इस आधार से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार ~~[illegible]~~ होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना